

(5) *Gratuity-Benefit* was increased from 15 months' to 20 months' terminal basic salary.

(6) *A city compensatory allowance* the rate of Rs. 10 p.m. was agreed to for the employees working in specified cities.

दवाइयों की ऊँची कीमतें निर्धारित करने के बारे में अधिसूचना

32. श्री सूरज भात :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री बृज भूषण लाल :

श्री शारदा नन्द :

श्री यश बत्त शर्मा :

श्रीमती शारदा मुकर्जी :

श्री राम चरण :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

श्री श्रीगोपाल साहू :

श्री शिव चरण लाल :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दवाइयों की ऊँची कीमतें निर्धारित करने की अनुमति देने के बारे में हाल में एक अधिसूचना जारी की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बा० रा० बक्ष्वाण) : (क) और (ख). ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसमें औषध फार्मूले-सन्स के ऊँचे मूल्य निर्धारण किये जाने की अनुमति दी गई हो परन्तु कुछ प्रचुर औषधियों

के, जिनके मूल्य टैरिफ आयोग की सिफारिशों के आधार पर पहले घोषित किये गये थे, मूल्यों के संशोधन की अधिसूचना जारी की गई। यह उन प्रचुर औषधि निर्माताओं के अभ्यावेदनों के फलस्वरूप किया गया था जिन में कहा गया है कि टैरिफ कमिशन ने औषधियों के लागत ढाँचे की जांच की थी। कच्चे मालों की मजदूरी, ऊर्जा, इत्यादि की दरों में वृद्धि उस समय की तुलना में हुई जब उन अभ्यावेदनों को ध्यान-पूर्वक जांचा गया और निम्नलिखित 6 औषधियों के मूल्य में वृद्धि को अनुमति उस हद तक दे दी गई जहां तक कच्चे मालों के लागत में वृद्धि हुई थी :—

(1) सल्फाडि आज़ोन (आयातित)

(2) मूल अवस्था से बनाये गये आयोडो-कलोरो हाइड्राक्सी क्वोनालीन

(3) प्रेक्नीसालोन

(4) देशी पिकालीनस द्वारा निमित आई एन एच

(5) सोडियम पी ए एस

(6) पी ए एस एसिड

मूल्य वृद्धि की अनुमति के बाद भी, संशोधित मूल्य अब भी उन मूल्यों से कम हैं जो ड्रज (प्राइसेज कण्ट्रोल) आर्डर, 1970 के लागू होने के समय प्रचलित थे।

सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया की लंबन शाखा में गबन

33. श्री सूरज भात :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

श्री बृज भूषण लाल ;

श्री राम गोपाल शास्त्रवाले :

श्री शारदा नन्द :

श्री मृत्युंजय प्रसाद :

श्री भट्टाकर सूपकार :

श्री देवकी तन्वन पाटीविया :

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री ज्योतिर्भय बसु :

श्री भगवान दास :

श्री उमा नाथ :

श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की लन्दन शाखा में हुए गबन का व्योरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और उसका व्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : मामले का व्योरा लोक सभा में 19 मई, 1970 को ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में दिये गये वक्तव्य में दे दिया गया था। सबसे हाथ की स्थिति यह है कि कुल मिलाकर 105 लाख ड्यूश मार्क की हंडियों में से जिनके बारे में हैम्बर्ग के वेहरम्स उंड सोहने नामक बैंक ने सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के लन्दन-स्थित कार्यालय द्वारा दी गई कथित गारंटियों के आधार पर भुनाये जाने का दावा किया है, 65 लाख ड्यूश मार्क की हंडियां जून, 1970 में भुगतान के लिये पेश की गई थी। सेन्ट्रल बैंक ने इन हंडियों के सम्बन्ध में देनदारी को अस्वीकार कर दिया है और साथ ही इन्हें चुकाने से इन्कार कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैंक आफ इंग्लैण्ड तथा पश्चिम जर्मनी के केन्द्रीय बैंकिंग एवं अधीक्षण प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों और जर्मनी के गैर-सरकारी बैंकों के उन प्रतिनिधियों से भेंट की है जिन्होंने इन हंडियों के बारे में कार्यवाई की है और उन्हें स्थिति से अवगत कराया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लन्दन-स्थित सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा का निरीक्षण करने के

लिए अपना एक अधिकारी भी नियुक्त किया है और निरीक्षण का कार्य चल रहा है।

स्काटलैण्ड यार्ड ने, जिसके पास सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने शिकायत दर्ज कराई थी, मामले की जांच शुरू कर, दी है। श्री सामी जे० पटेल का 8 जुलाई, 1970 को न्यूनस प्रायर्स, प्रर्जनटीन में पता चल गया था और प्राप्त सूचना के अनुसार वे 23 जुलाई, 1970 को लन्दन वापस आ गये हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उन्हें 31 जुलाई, 70 तक हवालात में रखे जाने का हुक्म दिया है।

Penalty notices Against Union Ministers under Income Tax or Wealth Tax Acts

34. SHRI SURAJ BHAN :
SHRI BANSI NARAIN SINGH :
SHRI J.B. SINGH :
SHRI KANWAR LAL GUPTA :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the Union Ministers against whom penalty notice has been issued under the Income-tax or Wealth-Tax Act^s during the last two years;

(b) the names of the Ministers on whom penalty was imposed and the amount of penalty imposed on each;

(c) the reply of each Minister against whom the penalty notice has been issued; and

(d) the names of the Ministers against whom penalty was dropped and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Out of 55 Union Ministers, information has been received, in respect of 43 Ministers. Out of these